ईमेल + अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकः–एफ 2(6)खा.वि./स्था.प्र/2019 जयपुर, दिनांकः–31.12.2020

• जिला कलेक्टर,
समस्त, राजस्थान।

• जिला रसद अधिकारी,
समस्त, राजस्थान।

–: परिपत्रः–

प्रायः यह देखने में आया है कि विभाग के जिला रसद अधिकारियों, प्रवर्तन अधिकारियों एवं प्रवर्तन निरीक्षकों के एसीपी (Assured Career Progress) 10,20,30 व 9,18,27 के प्रकरण विभाग को समय पर नियमानुसार प्रपत्र में नहीं भिजवाने के कारण लम्बित रहते हैं, जिससे संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की एसीपी समय पर स्वीकृत नहीं हो पाती है। कतिपय प्रकरण देय अवधि उपरान्त कई वर्ष व्यतीत होने के बाद विभाग में भिजवाये जाते हैं, जिससे सेवा सत्यापन के अभाव या अन्य कारणों से उक्त स्वीकृति की प्रक्रिया काफी लम्बी हो जाती है।

अतः इस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि जिला रसद अधिकारियों, प्रवर्तन अधिकारियों व प्रवर्तन निरीक्षकों के एसीपी के प्रकरण विभाग में समयबद्ध वित्त विभाग के नियमों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक औपचारिकताओं के साथ विभाग में भिजवाये जावें, ताकि संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के एसीपी स्वीकृति के प्रकरण विभाग द्वारा शीघ्र निस्तारित किये जा सके।

(सुरेश गुप्ता)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त